Drishti IAS

करेंट अफेयर्स झारखंड

मई (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड **3**

- झारखंड में भीषण गर्मी 3
- NGT ने झारखंड में थर्मल पावर प्लांट को नोटिस जारी किया 3
- झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग पर ED का छापा 4
- झारखंड के खूँटी में विकास का अभाव 5
- सिंहभूम में सबसे अधिक मतदान दर्ज 6
- झारखंड में ग्रीन बूथ 6
- झारखंड के मुख्यमंत्री की अंतरिम ज़मानत याचिका 7
- झारखंड में अफीम पोस्ता की ज़ब्ती 8
- चक्रवात रेमल 9
- मणिपुर में झारखंड के मज़दूरों पर हमला 10

दृष्टि The Vision

नोट :

झारखंड

झारखंड में भीषण गर्मी

चर्चा में क्यों ?

पूर्वी सिंहभूम ज़िले के बहरागोड़ा में अधिकतम तापमान **47.1 डिग्री सेल्सियस** दर्ज होने के साथ झारखंड के कुछ हिस्सों में **भीषण लू** चल रही है।

मुख्य बिंदु:

- मौसम विभाग ने **झारखंड** के **11 ज़िलों में भीषण गर्मी** के लिये **'ऑरेंज अलर्ट'** जारी किया है।
  - ये हैं- साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, बोकारो, सरायकेला-खरसावाँ, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम।
- **राँची मौसम विज्ञान केंद्र** के मुताबिक, तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँचने का एक कारण **खनन गतिविधियाँ** और **प्रदूषण** भी हो सकता है।

हीटवेव/लू (Heat Waves)

- **परिचय:**
  - हीटवेव अत्यधिक **गर्म मौसम की दीर्घावधि** है जो **मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव** डालती है।
  - भारत, एक उष्णकटिबंधीय देश होने के नाते, विशेष रूप से लू के प्रति **संवेदनशील** है, जो हाल के वर्षों में नियमित और तीव्र हो गया है।
- **भारत में लू की घोषणा के लिये IMD मानदंड:**
  - जब तक किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान **मैदानी क्षेत्रों के लिये कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस** और **पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस** तक नहीं पहुँच जाता, तब तक हीटवेव/लू पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
  - यदि किसी स्टेशन का **सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम** या उसके बराबर है, तो **सामान्य तापमान से 5°C से 6°C की वृद्धि को हीटवेव की स्थिति** माना जाता है।
    - इसके अलावा, **सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस** या **उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीटवेव** की स्थिति माना जाता है।
  - यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक है, तो **सामान्य तापमान से 4°C से 5°C की वृद्धि** को **हीट वेव** की स्थिति माना जाता है। इसके अलावा, **6°C या इससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीटवेव** की स्थिति माना जाता है।
  - इसके अतिरिक्त, यदि सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद **वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C या अधिक** रहता है, तो **हीटवेव/लू घोषित** की जाती है।

NGT ने झारखंड में थर्मल पावर प्लांट को नोटिस जारी किया

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) ने अप्रैल 2024 में एक यूनिट में लगी भीषण आग के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है, जिसमें झारखंड के चतरा ज़िले में **नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) के उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट** के प्रशासनिक प्रमुख भी शामिल हैं।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- NGT ने एक मामले को संबोधित किया जहाँ उसने एक विद्युत संयंत्र की इकाई 3 में एक सामग्री यार्ड में आग लगने के बारे में नोटिस लिया था।
  - यह संयंत्र, देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी **NTPC की कोयला आधारित 660X3 मेगावाट इकाई** जाँच के दायरे में थी।
  - NGT ने इस मामले को **पर्यावरण विनियमन अनुपालन** से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मामला माना।
- अधिकरण या ट्रिब्यूनल ने इस मुद्दे के लिये संयंत्र के प्रशासनिक प्रमुख, **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** और **झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB)** के सदस्य सचिवों के साथ-साथ चतरा के उपायुक्त जैसे विभिन्न अधिकारियों को शामिल किया।
- **अधिकरण या ट्रिब्यूनल** ने संयंत्र के प्रशासनिक प्रमुख और डिप्टी कमिश्नर जैसे विशिष्ट पक्षों को मामले पर जवाब देने के लिये नोटिस देने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

- यह पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निपटान के लिये **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम (2010)** के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है।
- NGT की स्थापना के साथ भारत एक **विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण (Specialised Environmental Tribunal)** स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा (और पहला विकासशील) देश बन गया। इससे पहले केवल **ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड** में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी।
- NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान करने का आदेश दिया गया है।
- NGT का मुख्यालय **नई दिल्ली** में है, जबकि अन्य **चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता** एवं **चेन्नई** में स्थित हैं।

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC)

- NTPC 68,961.68 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ **भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी** है और वर्ष 2032 तक 130 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने की योजना है।
- वर्ष 1975 में स्थापित NTPC का लक्ष्य **विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी विद्युत कंपनी** बनना है।
- NTPC के पास व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन व **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** नीतियाँ हैं जो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना तथा विद्युत उत्पादन के अपने मुख्य व्यवसाय के साथ अच्छी तरह से एकीकृत हैं।
- कंपनी नवोन्मेषी पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के साथ कई ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को अनुकूलित करके एक सतत् तरीके से प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर विश्वसनीय विद्युत का उत्पादन करने के लिये प्रतिबद्ध है, इस प्रकार NTPC राष्ट्र के आर्थिक विकास और समाज के उत्थान में योगदान दे रहा है।

झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग पर ED का छापा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** ने **मनी लॉन्ड्रिंग** जाँच के तहत राँची में **झारखंड ग्रामीण विकास विभाग** के परिसरों पर छापा मारा, जिसमें उसने हाल ही में भारी नकदी ज़ब्त की।

मुख्य बिंदु:

- ED ने न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि ग्रामीण विकास विभाग के "ऊपर से नीचे (Top to bottom)" तक के सरकारी अधिकारी कथित अवैध नकद भुगतान साँठगाँठ में शामिल हैं।
- यह भी दावा किया गया कि मामले में "वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं" के नाम सामने आए हैं तथा इसकी जाँच की जा रही है।

नोट :

- **मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सितंबर 2020** में झारखंड पुलिस की **भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (जमशेदपुर)** और दिल्ली पुलिस की **आर्थिक अपराध शाखा (EOW)** द्वारा राज्य ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता व कुछ अन्य के खिलाफ मार्च 2023 में दर्ज की गई FIR पर आधारित है।

प्रवर्तन निदेशालय (The Directorate of Enforcement- ED)

- प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक **बहु-अनुशासनात्मक संगठन** है जो **मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध धन को वैध करना) के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन** की जाँच करता है।
  - यह **वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य** करता है।
- भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी के रूप में ED **भारत के संविधान और कानूनों के सख्त अनुपालन में कार्य** करता है।

धन शोधन या 'मनी लॉन्ड्रिंग'

- **मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है** ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो। यह अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या ज़बरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** के अनुसार वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग **विश्व सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2 से 5%** के बीच होने का अनुमान है।

झारखंड के खूँटी में विकास का अभाव

चर्चा में क्यों ?

लोकसभा चुनाव 2024 के बीच झारखंड के **खूँटी, सिंहभूम और लोहरदगा** में कई आदिवासी मतदाता **विकास एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी** से नाखुश हैं।

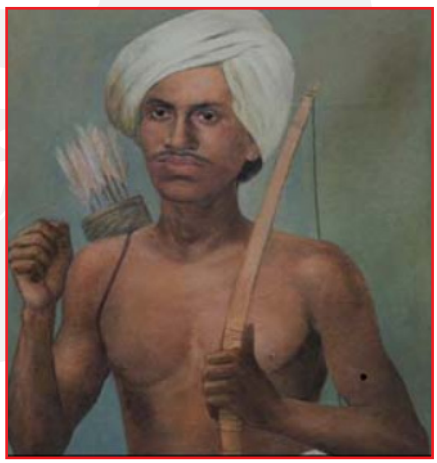

मुख्य बिंदु:

- **आदिवासी आदर्श बिरसा मुंडा** की जन्मस्थली, झारखंड के खूँटी लोकसभा क्षेत्र के एक गाँव **उलिहातु** में निवासियों में असंतोष है।
  - विकास और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण क्षेत्र में राजनीतिक उत्साह की कमी नज़र आ रही है तथा किसी भी पार्टी को खुला समर्थन नहीं मिल रहा है।
- हाल के वर्षों में, **गाँव में** तारकोल वाली सड़कें, स्कूल और पानी की टंकियाँ जैसे नए बुनियादी ढाँचे सहित **विकास दिखाई दे रहा है।**
  - प्रधानमंत्री ने यहाँ दौरा किया और 24,000 करोड़ रुपए के **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) विकास मिशन** का शुभारंभ किया।
  - केंद्र सरकार ने **बिरसा मुंडा की जयंती** को '**जनजातीय गौरव दिवस**' के रूप में मनाया।

बिरसा मुंडा (Birsa Munda)

- बिरसा मुंडा का **जन्म वर्ष 1875 में हुआ था।** वे **मुंडा जनजाति** के थे।
- उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में **आधुनिक झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय आदिवासी धार्मिक मिलेनेरियन आंदोलन का नेतृत्व किया।**

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) विकास मिशन

- PM-PVTG विकास मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य **कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG)** की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

नोट :

- इसके लिये केंद्रीय बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिये 24,000 करोड़ रुपए की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है।
- मिशन में पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिये **सुरक्षित आवास,** स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बस्तियों में सड़कों तक बेहतर पहुँच जैसी **बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।**

सिंहभूम में सबसे अधिक मतदान दर्ज

चर्चा में क्यों ?

झारखंड में पहले चरण के **मतदान में सिंहभूम में सबसे अधिक** 63.14% मतदान हुआ।

मुख्य बिंदु:

- सिंहभूम के बाद 62.82% के साथ खूँटी, 62.60% के साथ लोहरदगा और 59.99% के साथ पलामू का स्थान रहा।
  - रेंगदाहातु, मुरमुरा, तेनसारा और सियांबा में गहन माओवादी विरोधी अभियान तथा **CRPF शिविरों** की स्थापना के साथ-साथ मतदान केंद्र स्थापित किये गए थे।
- **माओवाद विरोधी अभियानों** की प्रभावशीलता स्पष्ट है क्योंकि कई गाँवों में दो दशकों में पहली बार स्थानीय मतदान केंद्र बने हैं, जिससे उच्च मतदान हुआ।
- स्थिति में सुधार के बावजूद पश्चिमी सिंहभूम देश के सबसे अधिक **वामपंथी उग्रवाद** प्रभावित ज़िलों में से एक बना हुआ है। यहाँ **वर्ष 2023 में** 46 माओवादी-संबंधी घटनाएँ भी दर्ज की गईं, जिनमें **22 मौतें** हुईं।
  - **माओवाद माओ त्से तुंग द्वारा विकसित साम्यवाद** का एक रूप है। यह **सशस्त्र विद्रोह, जन लामबंदी और रणनीतिक गठबंधनों** के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने का एक सिद्धांत है।

वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism- LWE)

- वामपंथी उग्रवाद, जिसे वामपंथी आतंकवाद या कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलनों के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों को संदर्भित करता है जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण **सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन** करते हैं।
- LWE समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये **सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या निजी संपत्ति** को निशाना बनाने जैसे कदम उठाते हैं।
- भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत **वर्ष 1967 के पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी (Naxalbari)** के उदय के साथ हुई।

झारखंड में ग्रीन बूथ

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करने और **प्लास्टिक मुक्त समाज** को बढ़ावा देने के लिये स्थापित ग्रीन बूथ झारखंड के **कोडरमा ज़िले** में मतदाताओं के लिये एक लोकप्रिय आकर्षण बन गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- **ग्रीन पोलिंग बूथ** कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत झुमरी तेलैया में एक **वरिष्ठ नागरिक सुविधा** केंद्र पर स्थित थे।
- ग्रीन चुनाव ऐसी प्रथाएँ हैं जिनका उद्देश्य **चुनावी प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है।** इनमें पुनर्चक्रित सामग्रियों का उपयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को बढ़ावा देना और उम्मीदवारों को स्थायी अभियान प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना जैसे उपाय शामिल हैं।
- ग्रीन चुनाव का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से चुनावी प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है:
  - **पर्यावरण-अनुकूल अभियान सामग्री:** पार्टियाँ और उम्मीदवार पुन: प्रयोज्य सामग्री, बायोडिग्रेडेबल बैनर तथा पुनर्नवीनीकरण कागज़ सहित पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

नोट :

- **ऊर्जा की खपत को कम करना:** रैलियों के दौरान ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि प्रणाली और परिवहन का विकल्प चुनने से कार्बन पदचिह्न को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **डिजिटल अभियानों को बढ़ावा देना:** प्रचार हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्मों (वेबसाइटों, सोशल मीडिया और ईमेल) का लाभ उठाने से कागज़ के उपयोग और ऊर्जा की खपत में कमी आती है।

झारखंड के मुख्यमंत्री की अंतरिम ज़मानत याचिका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम ज़मानत का विरोध किया है।

भारत में जमानत और संबंधित प्रावधान

"जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने पर बोझ से संबंधित है, सभी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जमानत का एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।"

–न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर

गिरफ्तारी के लिये संवैधानिक प्रावधान - अनुच्छेद 22: यह अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, हिरासत को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

- **दंडात्मक हिरासत:** न्यायालय में मुकदमे और दोषसिद्धि के पश्चात् किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गए अपराध हेतु दंडित करना।
- **निवारक निरोध:** न्यायालय द्वारा परीक्षण और दोषसिद्धि के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: जमानत को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन जमानती और गैर-जमानती अपराधों को परिभाषित करता है:

अपराध का प्रकार	जमानती	गैर-जमानती
CrPC के तहत परिभाषित	अनुसूची 1 में उल्लिखित अपराध, या किसी अन्य कानून द्वारा जमानतीय अपराध	जमानती के अतिरिक्त कोई भी अपराध
जमानत देने की शक्ति	अधिकार के रूप में जमानत	न्यायालय/पुलिस का विवेक तथ्यों पर आधारित हो

भारत में जमानत के प्रकार

- **नियमित जमानत:** पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का न्यायालय का आदेश
- **अंतरिम जमानत:** अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिये आवेदन पर फैसला होने तक न्यायालय अस्थायी अनुतोष प्रदान करती है
- **अग्रिम जमानत:** गिरफ्तारी को रोकने के लिये अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है
- **डिफॉल्ट जमानत:** जब पुलिस निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में विफल रहती है
- **चिकित्सकीय जमानत:** केवल चिकित्सा के आधार पर

जमानत रद्द करना - कुछ आधार पर

- यदि कोई व्यक्ति, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है
- जाँच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है
- साक्ष्यों से छेड़छाड़
- गवाहों को धमकाना, आदि

जमानत बनाम पैरोल बनाम परिवीक्षा

जमानत	पैरोल	परिवीक्षा
मुकदमे या अपील की प्रतीक्षा कर रहे प्रतिवादी की अस्थायी रिहाई, न्यायालय में उनकी उपस्थिति की सुनिश्चितता हेतु जमा राशि द्वारा सुरक्षा	जब व्यक्ति को कारावास की सज़ा से कुछ समय की छूट प्रदान की जाती है, उदाहरण के लिये, कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु	किसी अपराधी की सज़ा का निलंबन, किसी अधिकारी की निगरानी में समुदाय में रहने की अनुमति प्रदान करना
न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त	पैरोल बोर्ड द्वारा प्रदत्त	न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त

Drishti IAS

नोट :

मुख्य बिंदु:

- ED के मुताबिक, हेमंत सोरेन **मनी लॉन्ड्रिंग/धन शोधन** के अपराध के दोषी थे, जिसके लिये उन्हें जनवरी 2024 में गिरफ्तार किया गया था।
- **अंतरिम ज़मानत** किसी मामले के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से दी जाती है जब नियमित ज़मानत तुरंत प्राप्त नहीं की जा सकती।
  - "**अंतरिम ज़मानत**" शब्द को **आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC)** में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

झारखंड में अफीम पोस्ता की ज़ब्ती

चर्चा में क्यों ?

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, **झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले** में पुलिस ने 5.58 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 37.23 क्विंटल **पोस्ता ज़ब्त** की है।

मुख्य बिंदु:

- पैपावरेसी कुल से संबंधित **अफीम पोस्ता** (***Papaver somniferum L.***) एक वार्षिक औषधीय जड़ी बूटी है।
- इसमें कई **एल्कलॉइड** होते हैं जिनका उपयोग आधुनिक चिकित्सा में प्राय: एनाल्जेसिक, एंटीट्यूसिव और एंटी स्पस्मोडिक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, इसे खाद्य बीज और तिलहन के स्रोत के रूप में भी उगाया जाता है।
- **पोस्ता** वह **भूसी** है **जो फली/बीजकोष से अफीम निकालने के बाद बच जाती** है।
- इस खसखस/पोस्ता के भूसे में **मॉर्फीन की मात्रा भी बहुत कम** होती है और यदि पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाए तो खसखस का भूसा उच्च परिणाम दे सकता है।
- पोस्ता **भूसे का आधिपत्य, बिक्री, उपयोग** आदि को राज्य सरकारों द्वारा **राज्य स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियमों के तहत नियंत्रित** किया जाता है।
- किसान पोस्ता भूसा उन लोगों को बेचते हैं जिनके पास राज्य सरकार द्वारा पोस्ता भूसा खरीदने का लाइसेंस होता है।
- किसी भी अतिरिक्त पोस्ता स्ट्रॉ (पोस्ता के पुआल/फूस) को वापस खेत में जोत दिया जाता है।
- पोस्ता स्ट्रॉ **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS अधिनियम)** के तहत नशीली दवाओं में से एक है।
- इसलिये बिना लाइसेंस या प्राधिकरण के या लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास **पोस्ता स्ट्रॉ रखने, बेचने, खरीदने या उपयोग करने पर NDPS अधिनियम के तहत मुकदमा** चलाया जा सकता है।

एल्कलॉइड (Alkaloids)

- एल्कलॉइड प्राकृतिक से पाए जाने वाले **कार्बनिक यौगिकों का एक विशाल समूह** है जिनकी संरचना में **नाइट्रोजन परमाणु** (कुछ मामलों में अमीनो या एमिडो) होते हैं।
- ये नाइट्रोजन परमाणु इन यौगिकों की क्षारीयता का कारण बनते हैं।
- प्रसिद्ध एल्कलॉइड में **मॉर्फिन, स्ट्राइकिन, कुनैन, एफेड्रिन और निकोटीन** शामिल हैं।
- एल्कलॉइड के औषधीय गुण काफी विविध हैं। मॉर्फिन एक प्रबल मादक पदार्थ है जिसका उपयोग दर्द से राहत के लिये किया जाता है, हालाँकि इसका मादक गुण इसकी उपयोगिता को सीमित करता है। अफीम पोस्त में पाया जाने वाला मॉर्फिन का मिथाइल ईथर व्युत्पन्न कोडीन, एक उत्कृष्ट एनाल्जेसिक है जो अपेक्षाकृत गैर-मादक है।

नोट :

चक्रवात रेमल

चर्चा में क्यों ?

बंगाल की खाड़ी में गहरा दाब चक्रवात "रेमल" में परिणत हो चुका है, जिससे **पश्चिम बंगाल और झारखंड** सहित पड़ोसी राज्यों के लिये संभावित खतरे की स्थिति उत्पन्न हो गई है

नोट :

मुख्य बिंदु:

- राँची स्थित **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग** (India Meteorological Department- **IMD**) के **मौसम विज्ञानियों** ने प्रभावित क्षेत्रों में चक्रवात रेमल की महत्त्वपूर्ण प्रभाव की आशंका जताई है और **गंभीर चक्रवाती तूफान के लिये चेतावनी जारी की** है।
  - IMD के द्वारा 26 मई से 31 मई, 2024 तक राज्य के **कई हिस्सों में तड़ित झंझा, आकाशीय तड़ित और तेज़ आँधियों** का पूर्वानुमान किया गया है।
  - मौसम की इन स्थितियों से जमशेदपुर, राँची, बोकारो, गुमला, हज़ारीबाग, सिमडेगा समेत कई ज़िलों पर असर पड़ने की आशंका है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सूची में इस चक्रवात का **'रेमल' नाम ओमान द्वारा दिया गया** है। इस प्री-मॉनसून सीज़न- 2024 में इस क्षेत्र में आने वाला यह पहला चक्रवात है।
- **अरबी भाषा में 'रेमल' का अर्थ 'रेत'** होता है।

मणिपुर में झारखंड के मज़दूरों पर हमला

चर्चा में क्यों ?

झारखंड के मज़दूर जो बेहतर अवसरों की तलाश में वर्ष 2024 की शुरुआत में संघर्ष प्रभावित मणिपुर में चले गए थे, अब **इंफाल में सशस्त्र अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति की घातक गोलीबारी और दो अन्य के घायल होने के बाद बड़ी संख्या में वापस आ रहे** हैं।

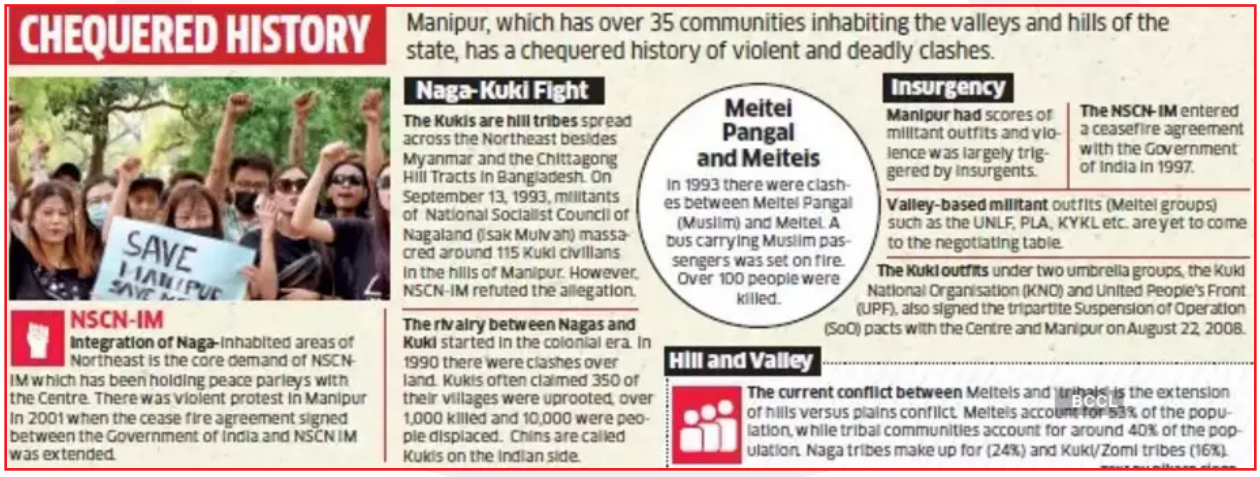

मुख्य बिंदु:

- यह राज्य के जातीय संघर्ष की शुरुआत के बाद से गैर-मणिपुरी व्यक्तियों पर हमले की पहली घटना है।
- गैर-स्थानीय लोगों के खिलाफ हिंसा के ऐसे कृत्यों ने राज्य में सात **मैतेई चरमपंथी समूहों** पर प्रतिबंध को बार-बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय में योगदान दिया है।
  - मणिपुर में लंबे समय से चले आ रहे जातीय संघर्ष में **मैतेई बहुसंख्यक** और **कुकी-ज़ो अनुसूचित जनजाति** समुदाय शामिल हैं।
  - संघर्ष में **अब तक 225 से अधिक लोगों की मौत** दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप हज़ारों लोग घायल हुए हैं और हज़ारों लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित होना पड़ा है।
- राज्य में बड़ी संख्या में गायब हुए हथियारों की वजह से नागरिकों का अपहरण और हमले जैसी घटनाओं में वृद्धि का कारण **अरामबाई तेंगगोल** जैसे कट्टरपंथी संगठनों एवं **यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)** जैसे घाटी स्थित विद्रोही समूहों के सदस्यों को माना जाता है।
- दोनों समुदायों के बीच **तनाव बना हुआ है,** जिसके कारण पहाड़ी और घाटी ज़िलों को अलग करने वाले **बफर ज़ोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) के पास कभी-कभी हमले** होते रहते हैं।

नोट :

मैतेई समुदाय

- मैतेई लोगों को मणिपुरी लोगों के रूप में भी जाना जाता है
  - उनकी **प्राथमिक भाषा मैतेई** है, जिसे **मणिपुरी** भी कहा जाता है और यह **मणिपुर की एकमात्र आधिकारिक भाषा** है।
- ये मुख्य रूप से इंफाल घाटी में बसे हुए हैं, हालाँकि एक बड़ी आबादी अन्य भारतीय राज्यों, जैसे- **असम, त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय और मिज़ोरम** में निवास करती है।
  - पड़ोसी देशों **म्याँमार और बांग्लादेश** में भी मैतेई की **उल्लेखनीय उपस्थिति** है।
- मैतेई लोग गोत्रों में विभाजित हैं तथा **एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते** हैं।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि The Vision

नोट :